	12
	(i) Diploma in Electrical or Mechanical or Automobile or Radio or Telecom Engineering from a recognised Institute/Polytechnic or equivalent. (ii) One year experience in handling work of technical establishment under Government/Governmental Organisation. **Note :1.** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note : 2** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Deputation or re-employment (for Armed Forces Personnel) : Armed Forces holding the rank of Junior Commissioned Officers who are due to retire or to be transferred to Reserve within a period of one year and possessing the qualification and experience indicated above shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to Reserve before the annual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of :— Chairman : Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General Ordnance Services. **Members :** (i) One Officer of the rank of Colonel or Director nominated by Director General Ordnance Services. (ii) One Officer from other Arms/Services/Corps. (iii) One Officer of Scheduled Caste or Scheduled Tribe Community.	Consultation with UPSC necessary when an Armed Forces personnel among others is in the field of selection for deputation/re-employment.

[F. No. B-13031/OS-8C (ii) (Vol.-IV)/166-D (Appt.)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2006

का.नि.आ. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना इंजीनियर सेवा (वास्तुविद, सहायक वास्तुविद और तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनका संबंध सहायक वास्तुविद और तकनीकी सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सेना इंजीनियर सेवा में सहायक वास्तुविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना इंजीनियर सेवा, सहायक वास्तुविद, श्रेणी-I और सहायक वास्तुविद श्रेणी-II, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. सहायक वास्तुविद श्रेणी-I	43* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	7500-250-12000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति : नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और दस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसा सहायक वास्तुविद श्रेणी II जिसने उस श्रेणी में 6500—10500 रुपए के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : 7500—12000 रुपये के वेतनमान में उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायक वास्तुविद पद के नियमित करने के लिए उपयुक्तता का आरंभिक निर्धारण किया जाएगा। यदि वह/वे 'उपयुक्त' निर्धारित होते हैं तो आरंभिक गठन पर नियुक्त समझे जाएंगे । यदि उन्नत वेतनमान पर नियुक्ति के लिए 'अनुपयुक्त' निर्धारित किए जाते हैं, वह/वे 6500—10500 रुपए के वेतनमान में बने रहेंगे और उसका/उनके मामले को प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित किया जाएगा । **प्रतिनियुक्ति/आमेलन**—अधिकारी स्तंभ 8 में यथा विहित अर्हताएं रखते हों और नागरिक सुरक्षा के सिविल पद पर कार्यरत हों तथा 6500—10500 रुपए के वेतनमान में तकनीकी अधिकारी, 6500—10,500 रुपए के वेतनमान में मुख्य नक्शानवीश और तीन वर्ष की सेवा सहित 5500—9000 रुपए के वेतनमान में नक्शानवीश श्रेणी I का पद धारण करता हो । **टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (i) महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा –अध्यक्ष (ii) मुख्य वास्तुविद, मुख्य इंजीनियर शाखा –सदस्य (iii) उप/अवर सचिव, मुख्य इंजीनियर शाखा –सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध के संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6
2. सहायक वास्तुविद श्रेणी-II	43* (2005) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या समतुल्य; (ii) स्थापत्य कला परिषद् से रजिस्ट्रीकृत होंगे, **वांछनीय :** वास्तुविद् व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पार्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और दस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन**–अधिकारी स्तंभ 8 में यथा विहित अर्हताएं रखते हों और नागरिक सुरक्षा के सिविल पद पर कार्यरत हों तथा 6500-10500 रुपए के वेतनमान में तकनीकी अधिकारी, 6500-10500 रुपए के वेतनमान में मुख्य नक्शानवीश और तीन वर्ष की सेवा सहित 5500-9000 रुपए के वेतनमान में नक्शानवीश श्रेणी-1 का पद धारण करते हों । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	12
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : – (i) महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा —अध्यक्ष (ii) मुख्य वास्तुविद, मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य (iii) उप/अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध के संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 85605/आर. आर./1/ए. ए. एण्ड सी. डी./सी. एस. सी. सी./165/आर.आर./06/रक्षा (नि.)]

वी. ए.चावडा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th April, 2006

S.R.O. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Architect, Assistant Architect and Technical Officer) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Assistant Architect and Technical Officer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby, makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Assistant Architects in the Military Engineer Services, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services, Assistant Architect Grade-I and Assistant Architect Grade-II, Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Asstt. Architect Grade-I	43* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7500-250-12000	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By promotion	**Promotion** Assistant Architect Grade-II in the pay scale of Rs. 6500-10500 with three years regular service in the Grade. **Note 1.**—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligiblity service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2.**—The suitability of the regular holder of the post of Assistant Architect will be initially assessed by the competent authority for appointment to the upgraded post in the pay scale of Rs. 7500-12000 with three years services. If assessed 'suitable' he/they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'not suitable' for appointment to the upgraded scale of pay, he/they shall continue to be in the revised scale of Rs. 6500-10500 and his/their case would be reviewed every year.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of:— 1. Director General (Personnel) Engineer-in-Chief's Branch —Chairman 2. Chief Architect, Engineer-in-Chief's Branch —Member 3. Deputy/Under Secretary, Defence (Appointments), Ministry of Defence —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant Architect Grade-II	43 * (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10,500	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 30 years. **Note 1:** Relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

8	9	10
Essential : (i) Bachelor's degree in Architecture of a recognised University or equivalent; (ii) Should be registered with the Council of Architecture. **Desirable :** One year experience in the profession as an Architect.	Not applicable	Two years

8
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise will qualified. **Note 2 :** The qualification (s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Schedules Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

11	12
Ninenty per cent by direct recruitment and Ten per cent by deputation/absorption.	**Deputation/Absorption :** Officers possessing qualifications as prescribed in Column 8 and working in the civil posts of Defence Services and holding post of Technical Officer in the scale of pay of Rs. 6500-10500, Chief Draughtsman in the scale of pay Rs. 6500-10500 and Draughtsman Grade I in the scale of pay of Rs. 5500-9000 with three years service. **Note 1.**— Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2.**—The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

13		14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of :—		Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on absorption and for amendment or relaxation of any provision of these rules.
1. Director General (Personnel) Engineer-in-Chief's Branch	—Chairman	
2. Chief Architect, Engineer-in-Chief's Branch	—Member	
3. Deputy Secretary, Defence (Appointments), Ministry of Defence	—Member	

[No. 85605/RRs/1/AA & CD/CSCC/165/RR/06/D (A)]

Y. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

का. नि. आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय में सेना (आशुलिपिक श्रेणी 1) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, (आशुलिपिक श्रेणी 1) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।